FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम अहट

रामजीवन बनाम गोरीशंकर वगै

म मुकदमा 5/01 नं. 5/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/2/22	पत्रावली पेश हुई। तहसील [illegible] अधिकारी [illegible]। अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 29-6-22 को पेश हो। [illegible]	
25/3/22	वादी अधिवक्ता द्वारा एक प्रा०-पत्र - शीघ्र सुनवाई व पुनः प्रा०-पत्र साथ में प्रा०-पत्र वापस लिए (नोटडेम) किये जाने का पेश करने पर पत्रावली बोर्ड में लक्ष्य कर पेशी में ली गई। प्रा०-पत्र पर वादी अधिवक्ता को मौखिक तौर पर सुना गया। वादी के अपना वाद लिए (नोटडेम) करना चाहता है अतः प्रा०-पत्र लिए स्वीकार किया जाकर वाद लिए/नोटडेम करने की स्वीकृति दी जाती है अतः वाद वादी लिए/नोटडेम करने पर कोर्ट स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फाइल हुआ। [illegible] नकल पक्षकार को एवं वाद तकमील [illegible] हो।	Not Press 25/4/22 (Pd. Hari Ram)